वित्त निर्देश 49/2003

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन–रायपुर

कमांक 773/862/वि/नि/चार/2003 **रायपुर, दिनांक 7.10.2003**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त कोषालय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारीयों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण एवं उन्हें समय पूर्व आवश्यक प्रपत्रों को प्रदाय किया जाना ।

****

सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारीयों को पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण। हेतु राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 156/23/वित्त/नि/चार/02 दिनांक 18 मार्च, 2003 से निर्देश दिये गये हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों पर सेवानिवृत्ति के पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम रूप से कार्यवाही की जावे, ताकि सेवानिवृत्ति के दिनांक तक पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र जारी हो जावें ।

2/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 के नियम 57 में यह प्रावधान है कि ''जिस तिथि से शासकीय सेवक अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा उस तिथि से जिससे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाता है, जो भी पहले हो, उससे दो वर्ष पूर्व प्रत्येक कार्यालय प्रमुख प्रपत्र 6 में पेंशन पत्रों को तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर देगा'' किन्तु अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरणों में जहाँ कार्यालय को शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति का पूर्वाभास नहीं रहता है, पेंशन पत्रों की तैयारी हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में कार्यालय प्रमुख कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के सात दिनों के

भीतर उसे पेंशन प्रपत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए पेंशन प्रकरण। की तैयारी प्रारंभ कर देगा ।

4/ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत एक प्रकरण में संबंधित कार्यालय द्वारा इस आधार पर पेंशन प्रकरण निराकरण नहीं होना उल्लेख किया गया है कि उनके पास पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध नहीं थे । मा. उच्च न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को काफी गंभीरता से लिया गया है । इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल राज्य शासन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज राशि का भुगतान होने पर आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है । यह स्थिति न केवल असंतोषजनक है बल्कि इस ओर भी संकेत देती है कि कतिपय कार्यालय प्रमुखों द्वारा पेंशन प्रकरण के निराकरण में स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देशों के बावजूद अपेक्षित सतर्कता नहीं बरती जा रही है ।

5/ पेंशन प्रपत्रों के अभाव में पेंशन प्रकरणों के निराकरण में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए राज्य शासन द्वारा मुद्रित पेंशन प्रपत्रों के सेट प्रदेश के समस्त कोषालय अधिकारियों के कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं । किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी पेंशन प्रकरणों की तैयारी के लिए इन प्रपत्रों का सेट अपने जिले के कोषालय अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा । इसके लिए कार्यालय प्रमुख को इस ज्ञापन के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार मांग पत्र कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

6/ राज्य शासन की यह मंशा है कि पेंशन प्रकणों के निवर्तन के लिए जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 774/862/वि/नि/चार/2003 रायपुर, दिनांक 7.10.2003

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचान आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
17. नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
18. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग